न्यायमूर्ति एम. एम. कुमार और अजय कुमार मित्तल के समक्ष

चंडीगढ़ आर्थी संघ और अन्य, - *याचिकाकर्ता*

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य, — *उत्तरदाता*

C.W.P. सं. 8622 सन् 2007

7 सितंबर, 2007

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — भारत सरकार द्वारा धान पर घोषित एमएसपी से अधिक और ऊपर बोनस का अनुदान — व्यवहारी और अभिकर्ता का निर्देशों से अनुपालन और किसानों को प्रोत्साहन बोनस का भुगतान — उत्तरदाताओं द्वारा राज्य करों से बोनस राशि की छूट के संबंध में अपेक्षित उपक्रम देने में विफलता — एफ़सीआई द्वारा बोनस की राशि कोई प्रतिपूर्ति नहीं — पंजाब सरकार पहले से ही राज्य करों से प्रोत्साहन राशि की छूट के संबंध में संशोधन जारी कर रहा है —वैध अपेक्षा और वचनबद्धता के सिद्धांत — प्रयोज्यता — चंडीगढ़ प्रशासन याचिकाकर्ताओं को राशि प्रतिपूर्ति के अपने वादे से बंधा है — याचिकाकर्ताओं के दावे को प्रशासन और एफ़सीआई के बीच अंतर-विभागीय विवाद के कारण नकारा नहीं जा सकता — याचिका अनुज्ञात की गई एफसीआई द्वारा याचिकाकर्ताओं को देय राशि ब्याज @ 8% प्र.व की प्रतिपूर्ति का निर्देश देते हुए।

अभिनिर्णित, याचिकाकर्ताओं के दावे को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है क्योंकि खरीफ विपणन-काल 2006-07 बहुत समय पहले समाप्त हो चुका है और प्रोत्साहन बोनस राशि @ रु. 40 / - प्रति धान की खरीद पर क्विंटल का भुगतान याचिकाकर्ताओं द्वारा किसानों को किया गया है , जो उन्हें प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। याचिकाकर्ताओं की राशि को उत्तरदाताओं द्वारा शिथिलता के कारण अनावश्यक रूप से अवरुद्ध कर दिया गया है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पंजाब क्षेत्र में, पंजाब राज्य ने 2007 के आयुध सं. 1 को प्रख्यापित करके त्वरित कार्रवाई की है और आवश्यक अधिनियम में संशोधन पूर्वव्यापी रूप से w.e.f. 1 अप्रैल, 2006 से की है, जबकि यूटी चंडीगढ़ के मामले में प्रस्ताव अभी भी केंद्र सरकार के विचार के लिए लंबित है। एक उद्यमी की राजधानी, जैसे की याचिकाकर्ता, अगर इतनी लंबी अवधि के लिए ब्लॉक बने रहे, तो उनकी व्यापारिक क्षमता पर खतरनाक प्रभाव होगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी प्रशासन राशि की प्रतिपूर्ति के अपने वादे से बाध्य है जब याचिकाकर्ताओं ने एक बार किसानों के पूछने और वादे पर भुगतान किया है।

(पैरा 10)

इसके अतिरिक्त अभिनिर्णित, कि वचन विबंध का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भी लागू होगा। याचिकाकर्ताओं को उत्तरदाताओं द्वारा, उच्च और शुष्क नहीं छोड़ा जा सकता है, वह भी निर्देश जारी करने के बाद जिन्हें किसानों को प्रोत्साहन बोनस का भारत सरकार के नीतिगत निर्णय दिनांक 25 और 26 अगस्त, 2006 और पत्र दिनांक 27 सितंबर, 2006 के अनुसार भुगतान करके उनके द्वारा अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ताओं के दावे को यू.टी प्रशासन और उत्तरदाता सं. 7 के बीच अंतर-विभागीय विवाद के कारण नकारा नहीं जा सकता। अब यू.टी प्रशासन और उत्तरदाता सं. 7. के बीच करों के वितरण जैसा की पंजाब राज्य द्वारा किया गया है के संबंध में सहमति है।

(पैरा 11)

मोहन जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ दिनेश के. जैन. , अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

बी.एल. गुलाटी, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं सं. 1 से 4 और 6 के लिए।

जे. आर. सयाल, अधिवक्ता, उत्तरदाता सं. 5 के लिए।

एच. एस धांडी, अधिवक्ता, उत्तरदाता सं. 7 के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार।

(1) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर यह याचिका परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए प्रार्थना करती है जिसके द्वारा उत्तरदाताओ को धान की ख़रीद पर प्रोत्साहन बोनस के भुगतान की प्रतिपूर्ति करने के लिए, जिसका पहले से ही याचिकाकर्ताओं द्वारा खरीफ विपणन-काल 2006-07 में भुगतान कर दिया था, प्रतिवादी सं. 6 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जो 25 अगस्त 2006 के भारत सरकार के नीतिगत निर्णय (पी-1) को लागू करते है। आगे प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी द्वारा राज्य करों से बोनस राशि की छूट के संबंध में अपेक्षित उपक्रम देने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए जैसा की पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षिप्तता के लिए, `अधिनियम') में आवश्यक संशोधन से पंजाब राज्य द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त यह प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को संशोधन को अपनाने के लिए निर्देशित किया जाए जैसा की अधिनियम में राज्य कर और लेवी से प्रोत्साहन राशि की छूट के संबंध में, पंजाब पुन: संगठन अधिनियम, 1966 के संदर्भ में किया गया है (संक्षिप्तता के

लिए '1966 अधिनियम '), 25 अगस्त, 2006 की नीति को लागू करने के लिए।

(2) तथ्यों पर पहले ध्यान दिया जा सकता है। कथित याचिकाकर्ता कृषि उत्पादों, धान सहित, के व्यवहारी और अभिकर्ता है और अनाज बाजार चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं। वह बाजार समिति, चंडीगढ़ जिसके प्रशासनिक प्रमुख उपायुक्त, चंडीगढ़-सह-सचिव, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, यू.टी., चंडीगढ़ प्रतिवादी सं. 5 है के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के तहत अपना व्यवसाय करते है। खरीफ विपणन-काल 2006-07 के दौरान धान की खरीद के लिए, भारत सरकार, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक नीतिगत निर्णय लिया और यह निर्णय लिया कि धान की खरीद के लिए, रुपये 40 / - प्रति क्विंटल का प्रोत्साहन बोनस को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) रु. 580/ - और रु. 610 / - प्रति क्विंटल धान की किस्में 'कॉमन' और ग्रेड 'ए' क्रमशः से ऊपर और अतिरिक्त दिया जाएगा। इस संबंध में एक परिपत्र पत्र दिनांक 25/26 अगस्त, 2006 को विभिन्न राज्यों के सभी प्रधानाचार्य सचिव (खाद्य), यू.टी. चंडीगढ़ सहित को जारी किया गया था। यह विशेष रुप से निर्धारित किया गया था कि राज्य सरकार को सभी राज्य करों और लेवी से इस बोनस राशि को पूरी तरह से छूट देनी थी। प्रोत्साहन बोनस 1 अक्टूबर, 2006 से 31 मार्च, 2007 की अवधि पर लागू था। सभी राज्य सरकार/संघ क्षेत्र को इस संबंध में संबंधित राज्य एजेंसियों को सरकार के उक्त निर्णय (पी -1) को लागू करने के लिए निर्देश/आदेश जारी करने के लिए निर्देशित किया गया था। 26 सितंबर, 2006 को जिला खाद्य और आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के अधिकारी, यू.टी. चंडीगढ़-प्रतिवादी सं. 6 ने सचिव, बाजार समिति, चंडीगढ़ प्रतिवादी सं. 5 से अनुरोध किया कि बाजार समिति के कर्मचारी को भारत सरकार का निर्णय जिसका फॉर्म 'एक्स (पी-2) में संकेत है का अनुपालन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाए। धान पर रु. 40 / - प्रति क्विंटल प्रोत्साहन बोनस देने के लिए, प्रतिवादी सं. 5 ने 27 सितंबर, 2006 को संघ के राष्ट्रपति याचिकाकर्ता सं. 1 को एक पत्र भेजा और भारत सरकार के निर्णय का अनुपालन करने के लिए कहा जिसका सभी संबंधित अभिकर्ता *(आर्थिया)* (पी 3) को संचार किया गया। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त निर्देशों और भुगतानों का अनुपालन करके प्रोत्साहन बोनस रु. 40 / - प्रति क्विंटल किसानों को खरीफ विपणन-काल 2006-07 के दौरान धान की ख़रीद पर भुगतान किया, जो की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर और अधिक था। विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए भुगतान का विवरण निम्नानुसार हैं: —

क्र. सं.	फर्म का नाम	रुपए में राशि
1.	कन्हिया लाल माधो राम	3,02,946.00
2.	गणेश स्टोर	8,15,150.40
3.	सुलेख चंद सत देव	98,182.00
4.	मित्तल निगम	3,66,527.00
5.	राम सरुप सुशील कुमार	2,48,108.00
6.	कृष्णन लाल कुलभूषण राय	1,90,358.00
7.	मदन पाल कृष्णन लाल	1,50,122.00
8.	भगवान दास इन्द्र राज	3,73,982.00
9.	कुइवंत राय जियान चंद	5,96,343.00
10.	बलदेव किशन एंड कंपनी.	1,91,380.00
11.	राम गोपाल हरि किशन जैन	1,84,849.50
12.	मदन लाल विकास कुमार	3,62,628.00
13.	किशोरी लाल गिरधारी लाल एंड कंपनी.	2,26,044.00
14.	राजन ट्रेडिंग कंपनी	2,78,656.00
15.	अग्रवाल ब्रदर्स	31,780.00
16.	राम किशन और ब्रदर्स.	2,79,524.00
17.	ओम प्रकाश कमल कुमार	3,10,646.00
18.	रणबीर सिंह पुनिया एंड कंपनी.	2,00,340.00
19.	पंजाब ट्रेडिंग कंपनी.	3,66,123.60
20.	दशमेश ट्रेडिंग कंपनी.	2,57,838.00
		56,28,087.50
		5831527.50 (?)

(3) यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि उपर्युक्त किसानों को याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए प्रोत्साहन बोनस की राशि को भारत के खाद्य निगम उत्तरदाता सं. 7 के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जाएगी। हालाँकि, उपरोक्त राशि की प्रतिपूर्ति याचिकाकर्ताओं को नहीं हुई थी और प्रतिवादी सं. 7 ने बल किया कि यू.टी. प्रशासन से इस प्रभाव पर उपक्रम लिया जाए कि खरीफ विपणन-काल 2006-07 के दौरान धान की खरीद पर भुगतान किया गया प्रोत्साहन बोनस को सभी प्रकार के करों और लेवी से छूट दी गई थी। में इस संबंध में, प्रतिवादी सं. 7 द्वारा संयुक्त निदेशक, यू.टी. प्रशासन और उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारी, यू.टी. प्रशासन को पत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 और 23 अक्टूबर/24 अक्टूबर, 2006 लिखा गया था (पी -5 और पी -6)। पत्र दिनांक 23/24 अक्टूबर, 2006 का अवलोकन करके यह पता चलता है कि पंजाब क्षेत्र के मामले में, एफसीआई ने धान की ख़रीद पर प्रोत्साहन बोनस रु. 40 / - प्रति क्विंटल जारी किए पंजाब सरकार द्वारा इस उपक्रम पर कि राज्य सरकार स्थानीय करों और बोनस भुगतान पर शुल्क न लेने के लिए संशोधन / अधिसूचना जारी करेगी। यू.टी. चंडीगढ़ के संदर्भ में , यह उल्लेख किया गया है कि संयुक्त निदेशक, यूटी चंडीगढ़ ने अधिसूचना जारी करने की राय दी। पत्र दिनांक 23 अक्टूबर / 24 अक्टूबर, 2006 (पी-6) के प्रासंगिक अर्क को पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "यह यहाँ जोड़ा जा सकता है कि पंजाब सरकार ने उपक्रम प्रस्तुत किया है कि राज्य सरकार स्थानीय करों और बोनस भुगतान पर शुल्क न लेने के लिए संशोधन / अधिसूचना जारी करेगी। राज्य सरकार से उपक्रम प्राप्त होने पर धान की खरीद पर बोनस राशि रु. 40 / - पीक्यू पंजाब क्षेत्र में जारी किया जा रहा है।
>
> एफसीआई, यूटी में चंडीगढ़, चंडीगढ़ मंडी द्वारा धान की खरीद के लिए प्रोत्साहन बोनस जारी करने के संबंध में, मामला जेटी निदेशक, यूटी, चंडीगढ़ के साथ उठाया गया है जिन्होंने कथित तौर पर अधिसूचना जारी करने के लिए आपके कार्यालय में इस मामले की सिफ़ारिश दी है। जब तक अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप उपक्रम जमा करे कि यूटी प्रशासन, चंडीगढ़ पूरी तरह से इस बोनस राशि को केएमएस 2006-07 के लिए सभी राज्य करों और लेवी से छूट दें जैसा की पंजाब सरकार द्वारा कहा गया है ताकि बोनस राशि किसानों को चंडीगढ़ मंडी में की ख़रीदारी के खिलाफ जारी की जा सके, भारत सरकार के निर्देश और विनिर्देश w.e.f. 25 सितंबर, 2006 अनुसार, चूंकि किसान और आर्थी जल्दी भुगतान के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं।"

(4) हालांकि, आबकारी और कराधान आयुक्त-प्रतिवादी सं. 4 ने इस तरह के उपक्रम को देने में असमर्थता दिखाया या उस बहाने वैट लगाने से बोनस की छूट देने में इस बहाने पर कि अधिनियम के प्रावधानों में (चंडीगढ़ पर लागू) ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं जो बिक्री कारोबार के किसी विशेष हिस्से को वैट लगाने से छूट देता है और उस को केवल तभी दिया जा सकता है जब कोई पंजाब सरकार द्वारा अधिनियम (पी -7) में संशोधन किया जाता है।

(5) पंजाब सरकार ने पहले ही प्रख्यापित कर दिया है कि अध्यादेश, 26 दिसंबर, 2006 को संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के तहत 2007 का अध्यादेश सं. 1 है, जो पंजाब सरकार राजपत्र (अतिरिक्त) में, दिनांक 12 जनवरी, 2007 (पी -9), को प्रकाशित हुआ था जिसके तहत अधिनियम की धारा 2 में 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी संशोधन लाया गया है। उपरोक्त राजपत्र अधिसूचना के प्रासंगिक हिस्सा कहता है: —

"1. (1) इस अध्यादेश को पंजाब मूल्य वर्धित कर (तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 2006 कहा जा सकता है;

(2) यह माना जाएगा कि यह अप्रैल, 2006 के पहले दिन से लागू और प्रभावी होगा.

2. पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में, धारा 2 में: —

(a)स्पष्टीकरण में खंड में, आइटम (2) के बाद निम्नलिखित आइटम जोड़ा जाएगा, अर्थात्: —

"(3) बोनस की राशि, भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में समय-समय पर दी गई; गेहूं और धान की ख़रीद अभिकर्ताओं द्वारा केंद्रीय पूल के लिए खरीद के संदर्भ में, उन वस्तुओं की ख़रीद की कीमत का हिस्सा नहीं बनेंगी।" और

(b) स्पष्टीकरण में खंड में, आइटम (6) के बाद निम्नलिखित आइटम जोड़ा जाएगा, अर्थात्: —

"(7) बोनस की राशि, एक प्रोत्साहन के रूप में दी गई भारत सरकार द्वारा समय-समय पर के लिए खरीदे गए गेहूं और धान का सम्मान खरीद एजेंसियों द्वारा केंद्रीय पूल, करेगा उन लोगों की बिक्री मूल्य का हिस्सा नहीं है जिंसों."

(6) पूर्वोक्त अध्यादेश के प्रचार के बाद, याचिकाकर्ता सं. 1 संघ ने फिर से प्रतिवादी सं. 4, को दिनांक 5 फरवरी, 2007 को विस्तृत प्रतिनिधित्व दिया जिसमे उनके मामले पर जल्द से जल्द विचार करने का अनुरोध किया (पी - 10)। याचिकाकर्ताओ की अपने संघ (याचिकाकर्ता सं. 1) द्वारा पुनरावृत प्रतिनिधित्व (पी- 12 से पी -18) के माध्यम से कोई परिणाम नहीं मिला, 20 अप्रैल, 2007 को एक कानूनी सूचना याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं (पी - 20) को भेजा गया। 21 मई को, 2007, प्रतिवादी सं. 6 ने कानूनी नोटिस का जवाब दिया कि पंजाब राज्य द्वारा जारी अध्यादेश को केंद्रीय राज्य, चंडीगढ़ में लागू नहीं किया जा सकता है तब तक और जब तक पूर्वोक्त अध्यादेश अधिनियम (पी -21) नहीं बन जाता है। प्रतिवादी सं. 6 द्वारा कानूनी सूचना का पूर्वोक्त उत्तर में उनका तर्क है: —

"यह अध्यादेश खरीफ विपणन-काल 2006-07 के दौरान धान की खरीद के प्रोत्साहन बोनस के भुगतान से संबंधित है। केंद्रीय क्षेत्र चंडीगढ़ में, मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 को पंजाब पुन: संगठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत विस्तारित किया गया है। पंजाब राज्य द्वारा वर्तमान अध्यादेश के माध्यम से अधिनियम में संशोधन को केंद्रीय क्षेत्र, चंडीगढ़ पर लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि पूर्वोक्त अध्यादेश अधिनियम नहीं बन जाता है।अध्यादेश के अधिनियम बनने पर, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार के पास आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर प्रतिबंध या संशोधन जैसा वह उचित समझे, इस तरह का विस्तार करने की शक्ति है, उक्त अधिनियम अधिसूचना की तिथि पर पंजाब राज्य में लागू है। इस तरह के विस्तार के लिए अपेक्षित प्रस्ताव को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कानून और अभियोजन विभाग के परामर्श से ऐसे प्रतिबंधों और संशोधनों के साथ विचार करने की आवश्यकता है, जैसा कि वह केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के लिए उपयुक्त समझे और फिर, केंद्रीय सरकार की अधिसूचना के मुद्दे पर, उक्त संशोधन केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ पर लागू होंगे। प्रशासन के पास उक्त अध्यादेश के अधिनियम बनने तक इंतजार करने और उसके बाद धारा के प्रावधानों के अनुसार इसे केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ तक, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के अनुसार विस्तारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 2006 के संशोधित अध्यादेश के अधिनियम बनने पर इसके विस्तार से संबंधित मुद्दा, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 की आवश्यकता के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ तक बढ़ाया जाएगा।"

(7) श्री मोहन जैन, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वक अधिवक्ता ने पूर्वोक्त तथ्यात्मक स्थिति को दोहराते हुए कहा कि प्रशासनिक शिथिलता और उदासीनता के कारण याचिकाकर्ता पीड़ित हैं और उनके तरल नकदी और पूंजीके कम होने के कारण उनका व्यवसाय प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक बार याचिकाकर्ताओं ने धान की ख़रीद पर प्रोत्साहन बोनस रु. 40 /- प्रति क्विंटल भारत सरकार के नीतिगत निर्णय दिनांक 25/26 अगस्त, 2006 (पी -1) और निर्देश दिनांक 27 सितंबर, 2006 (पी -3) के अनुसार किसानों को भुगतान किया गया, तब प्रतिवादी सं. 7 द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति करना अवलंबित है। विद्वक अधिवक्ता ने 'वैध अपेक्षा' के सिद्धांत का उल्लेख किया और तर्क दिया कि यह कानून का सिद्धांत है कि सरकार और उसके विभागों को अपनी नीति या इरादे के बयान को सम्मानित करने की उम्मीद है और नागरिकों से पूर्ण व्यक्तिगत विचार के साथ बिना किसी विवेक के दुरुपयोग के व्यवहार करना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला **राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम** *बनाम* **एस.पी. सिंह, (1)** के निर्णय पर निर्भरता रखी है।

(8) श्री एच.एस. धांडी, एफसीआई-प्रतिवादी सं. 7 के लिए विद्वक अधिवक्ता ने प्रतिवादी सं. 7 द्वारा दिए लिखित बयान में दिए तर्क को दोहराया कि तब तक और जब तक राज्य कर और लेवी से प्रोत्साहन बोनस की छूट के संबंध में, अधिनियम में संशोधन नहीं किया जाता है या केंद्रीय क्षेत्र, चंडीगढ़ द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं, जैसा कि पंजाब राज्य द्वारा किया गया है, याचिकाकर्ताओं की देय राशि की प्रतिपूर्ति करना संभव नहीं है।इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया कि केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ ने भी एफसीआई को इस आशय में कोई उपक्रम नहीं दिया है कि वह सशर्त भुगतान का मार्ग प्रशस्त करने वाले ऐसे किसी भी कानून को लाने के लिए तैयार है।

(9) श्री बी.एल. गुलाटी, प्रतिवादी सं. से 1 4 और 6 यानी केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के लिए विद्वक अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त करने के बाद, कहा है कि यू.टी. प्रशासन द्वारा अधिनियम में संशोधन लागू करने के प्रस्ताव को पहले ही भेजा जा चुका है और वह केंद्र सरकार के विचारके लिए लंबित है और इसलिए, एफसीआई द्वारा याचिकाकर्ता को प्रोत्साहन बोनस की देय राशि की प्रतिपूर्ति जो उन्होंने किसानों को खरीफ विपणन-काल 2006-07 के दौरान धान की खरीद पर भुगतान किया है। उसने कहा है कि केंद्रीय क्षेत्र यह वचन दे चुका है कि जब भी पंजाब राज्य द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार संशोधन किया जाएगा, तब वह आवश्यक करेगा।

(1) (1998) 7 S.C.C. 66

(10) दोनों पक्षों के विद्वक अधिवक्ताओं को सुन ने के पश्चात और रिकॉर्ड के अवलोकन पर, एक ओर प्रतिवादी सं. 1 से 4 ओर 6 और दूसरी ओर प्रतिवादी सं.7 के बीच विवाद की प्रकृति, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं के दावे को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता है क्योंकि खरीफ विपणन-काल 2006-07 बहुत समय पहले समाप्त हो चुका है और प्रोत्साहन बोनस राशि @ रु. 40 / - प्रति धान की खरीद पर क्विंटल का भुगतान याचिकाकर्ताओं द्वारा किसानों को किया गया है, जो उन्हें प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। याचिकाकर्ताओं की राशि को उत्तरदाताओं द्वारा शिथिलता के कारण अनावश्यक रूप से अवरुद्ध कर दिया गया है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पंजाब क्षेत्र में, पंजाब राज्य ने 2007 के आयुध सं. 1 को प्रख्यापित करके (पी-9) त्वरित कार्रवाई की है और आवश्यक अधिनियम में संशोधन पूर्वव्यापी रूप से w.e.f. 1 अप्रैल, 2006 से की है, जबकि यूटी चंडीगढ़ के मामले में प्रस्ताव अभी भी केंद्र सरकार के विचार के लिए लंबित है। एक उद्यमी की राजधानी, जैसे की याचिकाकर्ता, अगर इतनी लंबी अवधि के लिए ब्लॉक बने रहे, तो उनकी व्यापारिक क्षमता पर खतरनाक प्रभाव होगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी प्रशासन राशि की प्रतिपूर्ति के अपने वादे से बाध्य है जब याचिकाकर्ताओं ने एक बार किसानों के पूछने और वादे पर भुगतान किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का माला राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम *(Supra)* के निर्णय जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वक अधिवक्ता ने निर्भरता ली है, में इस संबंध में विषय को शामिल किया गया है। निर्णय के पैरा 18, निम्नलिखित दृष्टिकोण, जो की प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर लागू होता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया है: —

> "18. "वैध अपेक्षा" के सिद्धांत की उत्पत्ति प्रशासनिक कानून के क्षेत्र में हुई है। देश के मामलों को प्रशासित करने में सरकार और उसके विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नीति या इरादे के बयानों का सम्मान करें और विवेक के दुरुपयोग के बिना पूर्ण व्यक्तिगत विचार के साथ नागरिकों के साथ व्यवहार करें। नीति वक्तव्यों की अनुचित तरीके से अवहेलना नहीं की जा सकती या उन्हें चुनिंदा तरीके से लागू नहीं किया जा सकता।अनुचितता के रूप में अन्याय प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। इसी संदर्भ में "वैध अपेक्षा" का सिद्धांत विकसित हुआ जो आज वास्तविक और साथ ही प्रक्रियात्मक अधिकारों का स्रोत बन गया है। लेकिन यह माना गया है कि "वैध अपेक्षा" पर आधारित दावों के लिए अभ्यावेदन पर निर्भरता की आवश्यकता होती है और परिणामस्वरूप दावेदार को उसी तरह नुकसान होता है जैसे कि वचनबंधन पर आधारित दावे।"

(11) हम यह भी पाते हैं कि वाचा-विबंध का सिद्धांत जैसा की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामला **गुजरात राज्य वित्तीय निगम** *बनाम* **एम/एस लोटस होटल प्रा. लिमिटेड, (2),** में निर्धारित किया गया है, प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भी लागू होगा। याचिकाकर्ताओं को उत्तरदाताओं द्वारा, उच्च और शुष्क नहीं छोड़ा जा सकता है, वह भी निर्देश जारी करने के बाद जिन्हें किसानों को प्रोत्साहन बोनस का भारत सरकार के नीतिगत निर्णय दिनांक 25 और 26 अगस्त, 2006 (पी-1) और पत्र दिनांक 27 सितंबर, 2006 (पी-3) के अनुसार भुगतान करके उनके द्वारा अनुमति दी गई है। याचिकाकर्ताओं के दावे को यू.टी प्रशासन और उत्तरदाता सं. 7 के बीच अंतर-विभागीय विवाद के कारण नकारा नहीं जा सकता। अब यू.टी प्रशासन और उत्तरदाता सं. 7. के बीच करों के वितरण जैसा की पंजाब राज्य द्वारा किया गया है के संबंध में सहमति है।

(12) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इस रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और प्रतिवादी नंबर 7 को याचिकाकर्ताओं को प्रोत्साहन बोनस की पूरी देय राशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश देते हैं, जिसका खरीफ विपणन-काल 2006-07 दौरान धान की ख़रीद पर प्रोत्साहन बोनस रु. 40 /- प्रति क्विंटल भारत सरकार के नीतिगत निर्णय दिनांक 25/26 अगस्त, 2006 (पी -1) और निर्देश दिनांक 27 सितंबर, 2006 (पी -3) के अनुसार किसानों को भुगतान किया गया। याचिकाकर्ताओं को नियत तारीख से वास्तविक तारीख तक 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भुगतान का भी हकदार माना जाता है। याचिकाकर्ता को निर्णय की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर देय राशि के साथ ब्याज जारी किया जाए।

(13)रिट याचिका का उपरोक्त शर्तों के साथ निपटारा किया जाता है।

R.N.R.

(2) AIR 1983 S.C. 848

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

अनुराग यादव
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
Trainee Judicial Officer
नारनौल, हरियाणा